

मध्य प्रदेश सविलि सेवा अवकाश नयिम 2025

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सविलि सेवा (अवकाश) नयिम, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसमें कई आधुनिक प्रावधान शामिल किये गए हैं।

मुख्य बद्दि

■ सविलि सेवा अवकाश नयिम 2025 के बारे में:

- नए अवकाश नयिम केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप हैं और वर्ष 1977 के नयिमों का स्थान लेंगे।
- उल्लेखनीय परिवर्तनों में शामिल हैं:
- **सार्वजनिक मातृत्व अवकाश** अब **सुरोगेट माताओं** के लिये भी उपलब्ध होगा।
- **पतृत्व अवकाश** गोद लेने वाले पति के लिये 15 दिन का होगा।
- **बाल देखभाल अवकाश** अब एकल पुरुष कर्मचारियों तक भी वस्तितरति किया गया है।
- गंभीर रूप से बीमार और वशिष क्षमता वाले कर्मचारियों के लिये अवकाश आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।